न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 20/2021

अनवान

1. केशर पुत्री श्री मांगू कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
2. धनाराज पुत्र मांगू कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
3. भूरी पुत्री मांगू कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
4. भोली पुत्र सोसर कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
5. मीठू लाल पुत्र मांगू कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
6. रतनी पुत्र सोसर कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सवागी पत्नी श्री रूपा कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
2. नन्दूडा पुत्र श्री रूपा कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
3. रणजती पुत्र श्री रूपा कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
4. गोरधन पुत्र श्री रूपा कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
5. पुष्कर पुत्र श्री रूपा कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
6. प्रभु पुत्र श्री रूपा कालबेलिया निवासी तख्तपुरा।
7. छीतर मल पुत्र श्री मोडू रेगर निवासी कास्या तहसील बिजौलिया ।
8. श्रीमती मीना गदीया पत्नी श्री निर्मल गदीया निवासी नागौरी मौहल्ला, भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 02–12–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.03.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 385 की कृषि भूमि की आ.न. 1456/1113 रकबा 0.3541 एवं खाता संख्या 386 की कृषि भूमि की आ0न0 1448/1362 दिनांक 0.2150है भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.03.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 से 8 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:55:44 IST
Reason: SelfAttested

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 385 की कृषि भूमि की आ.न. 1456/1113 रकबा 0.3541 एवं खाता संख्या 386 की कृषि भूमि की आ0न0 1448/1362 दिनांक 0.2150 है भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/–रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 02/12/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी